

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :- निशा, R.A.S.

प्रकरण संख्या :-133/2011 राजस्व-वाद

1. लालीबाई पत्नि मगनलाल जाति बलाई उम्र 35 वर्ष निवासी परावल।
2. कमला बाई पत्नि रामलाल जाति बलाई उम्र 30 वर्ष निवासी परावल।
3. मनोहर कुंवर नवलसिंह चुण्डावत जाति राजपूत उम्र वयस्क निवासी परावल।

-वादी

बनाम

1. श्रीमती श्यामलाल पिता चतुर्भुज जी जाति नंगारची आयु वयस्क निवासी परावल।
2. श्रीमती सागरबाई पत्नि चतुर्भुज जी जाति नंगारची आयु वयस्क निवासी परावल।
3. श्री राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा जिला राजसमन्द

-प्रतिवादीगण

राजस्व वाद :- विभाजन कृषि भूमियां

उपस्थित : 1. अधिवक्ता श्री पूर्णाशंकर पालीवाल उपस्थित।


: : निर्णय : :

दिनांक :- 11.09.2019

अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से हिदायत पेरवी से इन्कार किया गया। तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अधिवक्ता वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है:-


आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम परावल तहसील नाथद्वारा की जमाबंदी संवत् 2065-68 की आराजी सं. 2181 मी. रकबा 0-03 बीघा लगान 0.03/-, आराजी सं. 2181/2 रकबा 0-03 बीघा लगान 0.03/-, आराजी सं. 2182 रकबा 0-05 बीघा लगान 0.79/-, आराजी सं. 2183/1 रकबा 0-06 बीघा लगान 1.02/-, आराजी सं. 2185 मी. रकबा 0-04 बीघा लगान 0.90/-, आराजी सं. 2186 मी. रकबा 0-19 बीघा लगान 4.09/-, आराजी सं. 2187 मी. रकबा 0-05 बीघा लगान 0.17/- कुल आराजी किता 7 कुल रकबा 2-05-00 बीघा कुल लगान 7.03/- मे लालीबाई पत्नी मगनलाल बलाई 1/2 कमलाबाई पत्नी रामलाल बलाई 1/2, आराजी सं. 2185 रकबा 0-02 बीघा लगान 0.44/-, आराजी सं. 2187/1 रकबा 0-06 बीघा लगान 0.21/-, आराजी सं. 2188 रकबा 0-16 बीघा लगान 0.80/-, आराजी सं. 2189 रकबा 0-06 बीघा लगान 0.30/- कुल आराजी किता 4 कुल रकबा 1-10-00 बीघा कुल लगान 1.65/- मे


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

मनोहर कुंवर पत्नी नवलसिंह राजपूत गोविन्द सिंह पिता नवलसिंह राजपूत, आराजी सं. 2181/1 रकबा 0-06 बीघा लगान 0.06/-, आराजी सं. 2183 मी. रकबा 0-04 बीघा लगान 0.45/-, आराजी सं. 2185/2 रकबा 0-03 बीघा लगान 0.19/-, आराजी सं. 2186/1 रकबा 0-04 बीघा लगान 0.90/- कुल आराजी किता 4 कुल रकबा 0-17 बीघा कुल लगान 1.60/- मे रामसिंह पिता वगतसिंह रतनसिंह पिता वगतसिंह चुण्डावत, आराजी सं. 2184 रकबा 0-02 बीघा लगान - मे श्यामलाल पिता चतुरभुज नंगारची 1/12 लालीबाई पत्नी मगनलाल बलाई 1/3 कमलाबाई पत्नी रामलाल 1/3 रामसिंह पिता वगतसिंह चुण्डावत 1/12 गोविन्दसिंह पिता नवलसिंह चुण्डावत 1/6 सा. देह खातेदार के नाम अलग-अलग खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर अंतिम डिक्री जारी हो। नक्शा ट्रेस डिक्री का भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(निशा)
सहायक कलक्टर(S.D.O.)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द